

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 287 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. डालूराम पुत्र चौलाराम, उम्र 38 वर्ष,		1. अचलाराम पुत्र मेहराराम,
2. गेनाराम पुत्र चौलाराम, उम्र 32 वर्ष,		2. खुमाराम पुत्र केसराराम,
3. पूराराम पुत्र चौलाराम, उम्र 35 वर्ष,		3. नवलाराम पुत्र केसराराम,
4. वीरोदेवी पत्नी चौलाराम, उम्र 72 वर्ष,		4. गजरोदेवी पत्नी नानकाराम,
5. प्रकाश पुत्र नगाराम, नाबालिंग वली माता चौनीदेवी पत्नी नगाराम,		5. कुम्भाराम पुत्र जालाराम, कौम जाट, मेघवालों की ढाणी, ग्राम पं. नेहरों की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर।
6. चौनीदेवी पत्नी नगाराम, उम्र 35 वर्ष, कौम जाट, साकिन नेहरों की ढाणी, ग्राम पं. नेहरों की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर		6. चेतनराम पुत्र चौलाराम, 7. जेतीदेवी पत्नी चौलाराम, उम्र सभी बालिंग, कौम जाट, नेहरों की ढाणी, ग्राम पं. नेहरों की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर।
		8. तहसीलदार सिणधरी ।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)
उपस्थिति-

1. श्री चिमनसिंह चौधरी, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 25.07.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी का खेत पटवार मण्डल नेहरों की ढाणी के राजस्व ग्राम नेहरों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 200 रकबा 0.6391 हैक्टेयर, किस्म बा0 दोयम व मौजा मेघवालों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 211,211/2 रकबा कमस

उपखण्ड ओ

1.5209, 2.4189 हैक्टेयर कुल रकबा 3.9398 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत राजस्व ग्राम नेहरों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 200 रकबा 0.6391 हैक्टेयर, किस्म बा0 दोयम व मौजा मेघवालों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 211,211/2 रकबा क्रमशः 1.5209, 2.4189 हैक्टेयर कुल रकबा 3.9398 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।


3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत राजस्व ग्राम नेहरों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 200 रकबा 0.6391 हैक्टेयर, किस्म बा0 दोयम व मौजा मेघवालों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 211,211/2 रकबा क्रमशः 1.5209, 2.4189 हैक्टेयर कुल रकबा 3.9398 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा राजस्व ग्राम नेहरों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 200 रकबा 0.6391 हैक्टेयर, किस्म बा0 दोयम व मौजा मेघवालों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 211,211/2 रकबा क्रमशः 1.5209, 2.4189 हैक्टेयर कुल रकबा 3.9398 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि राजस्व ग्राम नेहरों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 200 रकबा 0.6391 हैक्टेयर, किस्म बा0 दोयम व मौजा मेघवालों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 211,211/2 रकबा क्रमशः 1.5209, 2.4189 हैक्टेयर कुल रकबा 3.9398 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर


उपखण्ड अधिकारी

राज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर पटवार मण्डल नेहरों की ढाणी के राजस्व राजस्व ग्राम नेहरों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 200 रकबा 0.6391 हैक्टेयर, किस्म बा0 दोयम व मौजा मेघवालों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 211,211/2 रकबा क्रमशः 1. 5209, 2.4189 हैक्टेयर कुल रकबा 3.9398 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।


उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 25.07.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी